न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 07/2017 अपील/डूंगरपुर
पंजीयन दिनांक– 27.07.2017
निर्णय दिनांक– 04.07.2019

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री रूपाजी भील निवासी नवाडेरा, तहसील व जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, डूंगरपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार डूंगरपुर
3. उप तहसीलदार, डूंगरपुर
4. पटवारी पटवार हल्का, राजपूर तहसील व जिला डूंगरपुर
5. श्री केसरीमल पिता वखेचन्द जेन निवासी डूंगरपुर
6. श्री नवीन कुमार पिता वखेचन्द जैन निवासी डूंगरपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री संजय सेनः अधिवक्ता अपीलान्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 ब राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर, डूंगरपुर
के प्रकरण संख्या 03/2011 निर्णय दिनांक 30.09.2013

निर्णय

दिनांक– 04.07.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण

संख्या 03/2011 निर्णय दिनांक 30.09.2013 के विरूद्ध दिनांक 24.07.2017 को मय प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नवाडेरा में स्थित उसके पिता रूपा के नाम की भूमि का विरासत से उसके पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 502 को उप तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा दिनांक 15.09.2011 को निरस्त कर दिया गया। जिसकी प्रथम अपील उसके द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर के यहॉ प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.09.2019 में खातेदार रूपा द्वारा वसीयत की गई है, उसमें गीता द्वितीय पक्ष में अंकित होकर वसीयत ग्रहिता है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा नाम के साथ अपनी मूल जाति भील का अंकन नहीं किये जाने एवं सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 502 में दर्ज रकबा 13 बिस्वा में से 900 वर्गगज का उसके पिता के समय ही आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराई गई भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि खातेदार के खाते में बनी रहने तथा खातेदार स्व. श्री रूपा पिता अर्जन भील निवासी नवाडेरा एवं स्व. खातेदार रूपा की इकलौती पुत्री गीता एक ही होने बाबत सक्षम न्यायालय द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाणित नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की गई।

अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर के मूल आदेश 30.09.2013 के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में किये जाने व उक्त न्यायालय से निर्णय दिनांक 25.07.2014 उसके पक्ष में होने व उसकी निगरानी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 द्वारा राजस्व मण्डल में किये जाने पर क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर पत्रावली इस न्यायालय हाजा को होना माना गया व माननीय मण्डल के निर्णय की जानकारी 01.04.2017 को होने व दस्तावेज संकलन बाद अपील पेश किये जाने का भी अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

अर्थात् अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 03/2011 में निर्णय दिनांक 30.09.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील मियाद के बिन्दु पर आपत्ति रिजर्व रखते हुए दर्ज की गई तथा रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री जयकृष्ण दवे का वकालत नामा प्रस्तुत हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है एवं वैसे भी वह औपचारिक पक्षकार है।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 उपस्थित हुए। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहें। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मियाद के बिन्दु पर आवेदन वर्णित तथ्य ही वर्णित किय तथा निवेदन किया कि वह अपने पिता की एक मात्र जीवित वयस्क पुत्री होकर उत्तराधिकारी है तथा उसके नाम वसीयत भी दर्ज है। अपीलान्ट ने पुत्री होने बाबत विधिक साक्ष्य के कई दस्तावेज प्रस्तुत किये है। अपीलान्ट वसीयत ग्रहिता भी है, इसके बावजूद भी उसे उसके पिता की विरासत/उत्तराधिकारी नहीं माने जाने का नामान्तरकरण निर्णय व प्रथम अपील निर्णय त्रुटिपूर्ण है। प्रथम अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त विवेचन अपील अपास्त कर दी। इसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा निवेदन किया गया कि वह बची हुई मृतक रूपा की 13 बिस्वा जमीनों में से रूपान्तरित 900 वर्गगज यानि 9 बिस्वा आबादी जमीन क्रेता है। राजस्व रेकार्ड में 7 बिस्वा को ही रूपान्तरित माना गया है, जबकि पट्टा रूपान्तरण 900 वर्गगज का होकर सम्पूर्ण रूपान्तरित भूमि का रेस्पो. सं. 5 व 6 क्रेता है। अतः 13 बिस्वा में से 9 बिस्वा आबादी भूमि पर उसका अधिकार है तथा शेष भूमि 4 बिस्वा से उसका सरोकार नहीं है।

हमारे द्वारा उभय पक्ष की सुनी गई बहस व पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया व मनन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि जहां तक मियाद का प्रश्न है, यह स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर के नामान्तरकरण अपील आदेश की अपील त्रुटिपूर्ण रूप से राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत हो जाने व तदनन्तर माननीय राजस्व मण्डल से प्रदत्त निर्देशों के क्रम में तथ्यपूर्ण स्थिति के मद्देनजर उक्त अपील में मियाद कण्डोन किया जाना उचित है। अतः मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस उभय पक्ष यह स्वीकार करते है कि मृतक रूपा की अवशेष 13 बिस्वा भूमि में से 900 वर्गगज यानि 9 बिस्वा भूमि रूपान्तरित होकर आबादी दर्ज होनी चाहिये थी, परन्तु 7 बिस्वा ही आबादी दर्ज हुई है। उभय पक्ष इस तथ्य पर सहमत है कि रूपा द्वारा रूपान्तरित 9 बिस्वा भूमि के क्रेता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 है तथा उक्त 9 बिस्वा में अपीलान्ट का कोई हक नहीं है, क्योंकि रूपा द्वारा बाद रूपान्तरण उक्त 9 बिस्वा भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 को कर दिया गया है। रूपा के पास अवशेष 13–9 = 4 बिस्वा भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 अपना हक नहीं मानते, इसी प्रकार रूपान्तरित एवं विक्रित 9 बिस्वा भूमि में अपीलान्ट

अपना हक नहीं मानते। अब विवाद अवशेष 4 बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट के हक अधिकारों का है। यह स्पष्ट होता है कि उपतहसीलदार, डूंगरपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 502 निर्णय दिनांक 15.09.2011 में उक्त नामान्तरकरण में वसीयतग्रहिता को अनुसूचित जनजाति के रूपा की वसीयत ग्रहिता अपीलान्ट के पटेल (अन्य पिछड़ा वर्ग) होने से तथा पुत्री होने की पुष्टि नहीं होने से नामान्तरकरण खारिज कर दिया है। अपील में जिला कलक्टर द्वारा वसीयत व पुत्री होने का प्रमाणन सिविल न्यायालय से प्राप्त करने के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की है। प्रकरण में वसीयत स्वयं रूपा ने अपीलान्ट को अपनी पुत्री होना बताया है तथा अपीलान्ट द्वारा पानी व बिजली के बिल प्रस्तुत किये है, जिसमें वह रूपा की पुत्री होना प्रमाणित है। वसीयती उत्तराधिकार यदि देय नहीं है, तो भी रूपा की वसीयत में अपीलान्ट को उसकी पुत्री मानना स्वीकृत है तथा पुत्र नहीं होना भी वसीयत में वर्णित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नल व बिजली के बिलों की असंदिग्ध साक्ष्य उपलब्ध होने एवं रूपा स्वयं द्वारा पंजीकृत वसीयत में अपीलान्ट को अपनी पुत्री स्वीकार करने व पुत्र नहीं होने का दस्तावेज उपलबध होने के बावजूद अपीलान्ट को रूपा की पुत्री मानकर उसका विरासती उत्तराधिकार से उसे वंचित किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। उपरोक्त विवेचन के साथ हम उपतहसीलदार, डूंगरपुर के नामान्तरकरण संख्या 502 निर्णय दिनांक 15.09.2011 तथा जिला कलक्टर डूगरपुर के निर्णय अन्तर्गत प्रकरण संख्या 3/16 निर्णय दिनांक 30.09.2013 को अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट के नाम मौजा नवाडेरा की रूपा की अवशेष 4 बिस्वा भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मिसल शुमार फैसल हो, आदेश सुनाया गया।

(एल0 एन0 मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

Web Copy - Not Official